न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 47/2024

अनवान : –

1. महेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. खेताराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
2. मेहरचन्द पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
3. दानाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
4. हनुमान पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
5. शिशपाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
6. इन्द्राज पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
7. हरपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
8. रामस्वरूप पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भानीपुरा तहसील भानीपुरा जिला चरू
10. पंजीयक कार्यालय तहसीलदार राजस्व भानीपुरा तहसील भानीपुरा जिला चरू
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
12. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांकः 08/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के खाता सं. 13/12 के ख.न. 59/1 की 3.8320 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका गैरसायल सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा रेख बेरासर तहसील भानीपुरा जिला चुरु के खाता सं. 5/4 के ख.न. 112/18 की 1.0495 हैक्टर भूमि ख.न. 114/35 की 3.8441 हैक्टर ख.न. 116/50 की 2.3014 हैक्टर कुल 3 खसरेजात की 7.1950 हैक्टर भूमि स्थित हैं जो गैरसायल सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान–दान की जददी जायदाद भूमि है जो कि सायल के पड़दादा कानाराम पुत्र लेखुराम की नौतोड़ कर्ता भूमि है जिसमें सायल व गैरसायलन का बाई बर्थ राईट है अर्थात सायल व गैरसायलान वाद भूमि के एक दुसरे के कोपार्सनर हैउपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने [illegible] अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा जोजासर [illegible] के ख. नं. 59/1 की 3.8320 हैक्टर भूमि में सायल व गै[illegible] का प्रतिवादी सं. 6 [illegible] 1/6 हिस्सा, अर्थात 0.638666 हैक्टर भूमि में ब.हि.ब. के खातेदा[illegible] काश्तकार है। गैरसा[illegible] सं. 1 ता 5 का 1/6, 1/6 हिस्सा अर्थात 0.638666 हैक्टर भूमि भूमि के खातेदार काश्तकार है, एवं रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रेख बेरासर तहसील भानीपुरा जिला चुरू के खाता सं. 5/4 के ख.न. 112/18 की 1.0495 हैक्टर भूमि ख.न. 114/35 की 3.8441 हैक्टर ख.न. 116/50 की 2.3014 हैक्टर कुल 3 खसरेजात की 7.1950 हैक्टर भूमि में सायल व गैरसायलान सं. 7 व 8 गैरसायल सं. 6 के साथ 1/6 हिस्सा अर्थात 1.19916 हैक्टर भूमि ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है, एवं गैरसायल सं. 1 ता 5 का 1/6 1/6 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1.19916 हैक्टर भूमि भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल से 1 ने कर्ता खान दान होने के कारण अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि सायल गैरसायलान का बाई बर्थ राईट है सायल उपरोक्त आशयों की घोषणा करवापाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 13/12 के ख.नं. 59/1 की 3.8320 है० व रोही मौजा रेख बेरासर तहसील भानीपुरा जिला चूरू के खाता संख्या 5/4 के ख.नं. 112/18 की 1.0495 है0, ख.नं. 114/35 की 3.8441 है0, ख.नं. 116/50 की 2.3014 है0 कुल 3 खसरेजात की 7.1950 है०भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी [illegible] के पूर्वजों के नाम दर्ज रही हैं एवं उनकी फौतदगी के बाद सायल के दादा यानि के अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता हैं। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती हैं तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 13/12 के ख.नं. 59/1 की 3.8320 है० व रोही मौजा रेख बेरासर तहसील भानीपुरा जिला चूरू के खाता संख्या 5/4 के ख.नं. 112/18 की 1.0495 है0, ख.नं. 114/35 की 3.8441 है0, ख.नं. 116/50 की 2.3014 है0 कुल 3 खसरेजात की 7.1950 है०भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 08/09/25 [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर